प्रेषक,

बलविन्दर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ:दिनांक 15 अक्टूबर, 2010

विषयः–उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–80 में की गयी बजट व्यवस्था के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–40/स0क0/बजट/म0मा0यो0/2010–11, दिनांक 16.9.2010 एवं पत्रांक–38/स0क0/बजट/म0मा0यो0/2010–11, दिनांक 16.9.2010 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या–3038/26–2–2010–एस0एन0डी0(145)/10, दिनांक 27.9.2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के संचालन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–80 के अन्तर्गत मूल आय–व्ययक में रू0 200.00 करोड़ तथा प्रथम अनुपूरक मॉग 2010–11 के माध्यम से की गई व्यवस्था रू0 70.00 करोड़ अर्थात कुल रू0 270.00 करोड़ के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 1,35,00,00,000/–(रूपया एक अरब पैंतीस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. **उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 से आगामी छः माह के लिए किया जायेगा।**

2. **धनराशि का आहरण/व्यय वित्तीय नियमों एवं इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गई व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।**

3. उक्त योजना के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–185/26–2– 2010–3मु0स0/2010, दिनांक 15.01.2010, शासनादेश संख्या–411/26–2–2010–3मु0स0/2010, दिनांक 30.03.2010, शासनादेश संख्या–2400/26–2–2010–3मु0स0/2010, दिनांक 03.8.2010 एवं आहरण तथा लाभार्थी को भुगतान के विषय में समय–समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए लाभार्थियों को भुगतान किया जायेगा।

2. उपर्युक्त योजना में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय व्यय में अनुदान संख्या–80 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–आयोजनागत–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–200–अन्य कार्यक्रम–03–उ0प्र0 मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत की गई बजट व्यवस्था से वहन किया जायेगा तथा व्यय उक्त योजना के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–ई–3–1717/दस–2010, दिनांक 13 सितम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(बलविन्दर कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–3188(1)/26–2–2010–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 एवं
7. राज्य योजना आयोग अनुभाग–1/2 एवं नियोजन अनुभाग–3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कमल किशोर श्रीवास्तव)
उप सचिव